# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भीलवाड़ा

**पीठासीन अधिकारी– अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या
971 / 2024

दायर दिनांक
04.12.2024

निर्णय दिनांक
05-12-2025

**उनवान**

1. श्री राधेश्याम श्रोत्रिय पुत्र श्री कल्याण दत्त श्रोत्रिय ब्राहम्ण, निवारी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा। **—— प्रार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा। **—— विपक्षी**

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थी श्री ओमप्रकाश पटवारी उपस्थित।**
2. **विपक्षी संख्या 01 की और से पैराकार सरकार।**

**–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–**

**–:: निर्णय ::–**

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महूआकलां तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1241 / 3 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1241 / 4 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1279 / 2 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1295 / 2 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1897 / 1 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 969 / 2 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 972 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 973 / 1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, कुल किता 08 कुल रकबा 2.0105 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं खाता संख्या 459 में आराजी नम्बर 970 रकबा 0.0506 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 5 / 36 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थी का सही नाम राधेश्याम श्रोत्रिय पुत्र कल्याण दत्त ब्राहमण है लेकिन सहवन से प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में श्याम लाल पुत्र कल्याण दत्त ब्राहमण अंकित हो गया है। प्रार्थी के विद्यालय रेकार्ड अंकतालिका, बिजली बिल, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजो में मेरा नाम राधेश्याम श्रोत्रिय पुत्र कल्याण दत्त ब्राहमण अंकित है जो सही है। प्रार्थी के पिता कल्याण दत्त शर्मा पिता लक्ष्मण ब्राहमण के देहवासान के बाद विरासत से राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम श्याम लाल पुत्र कल्याण दत्त ब्राहमण अंकित हुआ जिसे सुधार किया जाकर मेरा सही नाम राधेश्याम श्रोत्रिय पुत्र कल्याण दत्त ब्राहमण अंकित किया जाना विधि सम्मत है। श्याम लाल व राधेश्याम श्रोत्रिय (ब्राहमण) मुझ प्रार्थी का ही नाम है उक्त नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। राजस्व रेकार्ड में उक्त नाम के गलत अंकन को संशोधन के आधार पर इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिस हेतु विपक्षी को आदेश प्रदान कराया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त आराजियात में प्रार्थी नाम श्याम लाल पुत्र कल्याण दत्त ब्राहमण के स्थान पर राधेश्याम श्रोत्रिय पुत्र कल्याण दत्त ब्राहमण किया जाना था इस हेतु प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में सही अंकन किए जाने बाबत् पूर्व में एक प्रार्थनापत्र तहसीलदार भीलवाड़ा के यहां भी प्रस्तुत किया किन्तु कोई कार्यवाही नही होने से यह प्रार्थनापत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत है। प्रार्थी उक्त आराजी का स्वामी होकर उक्त आराजियात में अपना सही नाम पर संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के आधिपत्यशुदा ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महूआकलां तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1241/3 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1241/4 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1279/2 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1295/2 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1897/1 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 969/2 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 972 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 973/1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, कुल किता 08 कुल रकबा 2.0105 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं खाता संख्या 459 में आराजी नम्बर 970 रकबा 0.0506 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम श्यामलाल पुत्र कल्याण दत्त ब्राहम्ण के स्थान पर राधेश्याम श्रौत्रिय पुत्र कल्याण दत्त ब्राहम्ण अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 तहसीलदार भीलवाडा का जवाब पत्रांक 3035 दिनांक 01.09.2025 से प्राप्त हुआ जिसके अनुसार ग्राम कालसांस के मौतबिरान ने श्यामलाल का ही सही नाम राधेश्याम बताया। राधेश्याम उर्फ श्यामलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी/वादी ने नाम की पुष्टि हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज, शपथ पत्र पत्रावली में शामिल होना बताया है एवं प्रार्थी का नाम श्यामलाल पिता कल्याणदत्त ब्राहम्ण के बजाय श्यामलाल उर्फ राधेश्याम पिता कल्याणदत्त ब्रहाम्ण संशोधित किये जाने की अनुशंषा की गई है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस, विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महूआकलां तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1241/3 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1241/4 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1279/2 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1295/2 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1897/1 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 969/2 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 972 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 973/1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, कुल किता 08 कुल रकबा 2.0105 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं खाता संख्या 459 में आराजी नम्बर 970 रकबा 0.0506 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम श्यामलाल पुत्र कल्याण दत्त ब्राहम्ण के स्थान पर राधेश्याम श्रौत्रिय पुत्र कल्याण दत्त ब्राहम्ण अंकित किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम **श्यामलाल पिता कल्याणदत्त ब्राहम्ण के बजाय श्यामलाल उर्फ राधेश्याम पिता कल्याणदत्त ब्रहाम्ण** संशोधित किये जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

**–:आदेश :–**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कि ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महूआकलां तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1241/3 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1241/4 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1279/2 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1295/2 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1897/1 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 969/2 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 972 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 973/1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, कुल किता 08 कुल रकबा 2.0105 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 459 में आराजी नम्बर 970 रकबा 0.0506 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के नाम **श्यामलाल पिता कल्याणदत्त ब्राहम्ण के बजाय श्यामलाल उर्फ राधेश्याम पिता कल्याणदत्त ब्राहम्ण** इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 05-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा